

**राम किशन एवं अन्य बनाम मस्त राम और अन्य**

विद्वत जिला न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्यर्थी के पक्ष में संतुलन सुविधा थी, साथ ही प्रथम दृष्टया मामला भी और यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो बेदखली आदेश के निष्पादन में विवादग्रस्त संपत्ति से बेदखल होने से उसे अपूरणीय नुकसान होगा, यह पूरी तरह से सही है और इस याचिका में इसे बदला नहीं जाना चाहिए। तदनुसार आदेश को बिना किसी हस्तक्षेप के छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार याचिका खारिज कर दी जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें कही गई कोई भी बात मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगी। प्रत्यर्थी को अपना खर्च वहन करना होगा।

(4) मुकदमे में तेजी लाई जाए।

**न्यायाधीश एस. पी. गोयल और जी. सी. मित्तल, जे. जे. के समक्ष  
राम किशन और अन्य-याचिकाकर्ता।**

**बनाम**

**मस्त राम और अन्य, -उत्तरदाता।**

**सिविल रिट याचिका सं। 1985 का 842.**

**26 अगस्त, 1985।**

पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम (1953 का X)-धारा 9 (1) (ii) और 14-ए (i) -भूमि मालिक अपने किरायेदारों को इस आधार पर बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं कि वे पर्याप्त कारण के बिना नियमित रूप से किराए का भुगतान करने में विफल रहे-फॉर्म 'एल' में दायर आवेदन जिसमें किरायेदारों द्वारा किए गए चूक का कोई विवरण नहीं है-ऐसा आवेदन-क्या एकमुश्त खारिज किया जा सकता है-चूक के विस्तृत विवरण का उल्लेख-क्या आवश्यक हो।

अभिनिर्णित -मान लिया गया कि 'एल' प्रपत्र में निहित शब्दों का मात्र पाठ, किरायेदार को बाहर निकालने का दावा करने या सहायक कलेक्टर को कार्यवाही शुरू करने के लिए भी डेटा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। विवरण देने के लिए अधिकृत करने वाले किसी नोट के अभाव में भी, भूमि मालिक से यह बताने की आवश्यकता होगी कि किरायेदार किस फसल या फसल की खेती पर्याप्त कारण के बिना करने में विफल रहा है और खेती के तरीके और विस्तार के बारे में इलाके में प्रचलित प्रथा और इस संबंध में विफलता। विभिन्न रूपों को निर्दिष्ट करने वाले ये सभी प्रावधान सक्षम कर रहे हैं और वे केवल एक गाइड देते हैं जिसके आधार पर राहत मांगी जा सकती है लेकिन विस्तृत तथ्यों का उल्लेख करना होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ संलग्न प्रपत्र 'एल' या प्रतिलेखों के प्रपत्र, लिखित कथन या आपत्तियां ऐसे अनिवार्य प्रपत्र नहीं हैं जिनमें कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, फॉर्म 'एल' में दायर किए गए सभी आवेदनों में, चाहे एक खंड या दूसरे के तहत, उस खंड को लेते समय, जिसके तहत राहत का दावा किया जाता है, आवेदक का कर्तव्य है कि वह उस खंड के तहत राहत का दावा करने के लिए विवरण दे और इस हद तक आवेदक द्वारा उस फॉर्म में पैराग्राफ जोड़कर सभी संभावित परिवर्धन किए जा सकते हैं।

## I.L.R. पंजाब और हरियाणा (1986)2

जहां भूमि मालिकों ने केवल 'फॉर्म' एल 'के शब्द बताए हैं और किस फसल या फसल के लिए किराए का भुगतान नहीं किया गया था या भुगतान में देरी कैसे हुई थी, इस बारे में विवरण और विवरण नहीं दिया है, तो सहायक कलेक्टर द्वारा कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताते हुए आवेदनों को पूरी तरह से खारिज कर दिया जा सकता है।

(पैरा ४,५,६)

सूरजा बनाम हरियाणा राज्य, 1980 P.L.J. 177.

(असविकार हुआ )

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि:-

- (i) मामले के अभिलेखों को उसके अवलोकन के लिए और उसके बाद, प्रत्यर्थी की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट के लिए बुलाया जा सकता है, जो 20 सितंबर, 1984 को वित्त आयुक्त प्रत्यर्थी सं। 2. (Annexure P. 4).
- (ii) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे, प्रदान किया जा सकता है;
- (iii) इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है और उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस जारी किए जा सकते हैं और अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल किया जा सकता है।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ताओं को विवादित भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाई जा सकती है।

**याचिकाकर्ता की ओर से नंद लाल ढींगरा, अधिवक्ता।**

**प्रत्यर्थी की ओर से एस. के. गोयल, अधिवक्ता।**

**आदेश**

1. यह आदेश 1985 के सीडब्ल्यूपी संख्या 842. 1364 और 1365 का निपटान करेगा क्योंकि इसमें समान/सामान्य प्रश्न उठते हैं। इन सभी मामलों में मकान मालिक एक ही हैं लेकिन किरायेदारों के तीन अलग-अलग समूह हैं।
2. 4-8-1981 को, भूमि मालिकों ने पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 14-ए (i) के तहत किरायेदारों के प्रत्येक सेट के खिलाफ तीन अलग-अलग आवेदन दायर किए, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में जाना जाता है। ) फॉर्म-एल में इस आधार पर कि किरायेदार पर्याप्त कारण के बिना नियमित रूप से किराया देने में विफल रहे हैं, जो अधिनियम के एस. 9(1)(ii) में निहित निष्कासन के आधारों में से एक है। फॉर्म 'एल' में दायर आवेदन में कोई विवरण नहीं दिया गया था और यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि किस फसल या फसल का किराया भुगतान नहीं किया गया था या पर्याप्त कारण के बिना अनुचित देरी के बाद भुगतान किया गया था, न ही भुगतान के विवरण का उल्लेख किया गया था। किरायेदारों ने याचिका का विरोध किया और आरोपों से इनकार किया। सबूतों के आधार पर, सहायक कलेक्टर ने पाया कि कुछ फसल के लिए लगान का भुगतान देर से किया गया था और एक अन्य फसल के लिए लगान का भुगतान नहीं किया गया था और निष्कर्ष निकाला कि किरायेदार पर्याप्त कारण के बिना नियमित रूप से लगान का भुगतान करने में विफल रहे थे और आदेश दिनांक 23- के तहत उन्हें बेदखल करने का आदेश दिया। 8--1982 (परिशिष्ट 'पृ. 1')। कलेक्टर के समक्ष दायर

किरायेदारों की अपील अनुबंध 'पी.2' के तहत खारिज कर दी गई थी। किरायेदारों के पुनरीक्षण पर, विद्वान आयुक्त ने पुनरीक्षण को स्वीकार करने और बेदखली के आदेशों को रद्द करने के लिए वित्तीय आयुक्त को मामले की सिफारिश की। अंततः, वित्तीय आयुक्त ने आदेश दिनांक 20-9-1984 (अनुलग्नक 'पी.4') द्वारा संशोधन की अनुमति दी और यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद बेदखली के आदेशों को रद्द कर दिया कि किरायेदारों ने धारा 14-ए(iii) के तहत किराया जमा कर दिया था क्योंकि भू-स्वामियों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और जमा राशि के मद्देनजर, जो देर से किया गया साबित नहीं हुआ, बेदखली के आदेश कायम नहीं रह सके। ये ज़मीन मालिकों की रिट याचिकाएँ हैं।

3. सूरज बनाम हरियाणा राज्य, 1980 पुन एलजे 177 में एकल पीठ के फैसले की शुद्धता पर संदेह होने के कारण रिट याचिकाएँ डीबी में स्वीकार कर ली गईं। इसलिए, हम पहले इस मामले से निपटते हैं, जो पार्टियों के बीच मुख्य विवाद के निर्णय के लिए और भी महत्वपूर्ण है। सूरजा के मामले में एसएस कांग जे के समक्ष (सुप्रा) किरायेदार की ओर से एक तर्क उठाया गया था कि फॉर्म-एल में एक आवेदन दाखिल करके धारा 14-ए (आई) के तहत किरायेदार की बेदखली की मांग करना आवश्यक है भूमि-मालिक को यह विवरण देना होगा कि किस फसल या फसल के लिए लगान का भुगतान नहीं किया गया है और किस फसल या फसल के लिए लगान का भुगतान अनुचित देरी के बाद किया गया है ताकि किरायेदार को पता चल सके कि उसे किस सटीक मामले को पूरा करना है। इस तर्क को विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैरा 2 और 4 में निहित निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:--

"2 xxxxxxxxxxx यह तर्क अधिनियम की धारा 14 ए के दो खंडों, यानी सीएल (आई) और (ii) की गलत धारणा पर आधारित है। अधिनियम की धारा 14-ए (आई) के तहत, एक किरायेदार उत्तरदायी है यदि वह पर्याप्त कारण के बिना नियमित रूप से किराया भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 14-ए (ii) के तहत, भूमि मालिक को किरायेदार से बकाया किराए की वसूली करने का उपाय दिया गया है और यदि सहायक कलेक्टर को पता चलता है कि किरायेदार ने किराए का भुगतान या जमा नहीं किया है, तो वह किरायेदार को बेदखल करने का आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, इस खंड के तहत, किरायेदार को पहले एक नोटिस दिया जाता है कि या तो मांग की गई किराया जमा करें या कलेक्टर की संतुष्टि के लिए इसे साबित करें। कि उसने किराया चुका दिया है। उपर्युक्त दो खंडों के बीच यही अंतर है। अधिनियम की धारा 14-ए (आई) के तहत भूमि मालिक केवल तभी सफल हो सकता है जब वह किरायेदार की ओर से नियमित डिफॉल्ट स्थापित करता है। नियम- प्राधिकारी ने अपने विवेक से अधिनियम की धारा 14-ए(आई) के तहत आवेदन के लिए 'एल' निर्धारित किया है। इस फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें किराए का विवरण या सटीक राशि देने की आवश्यकता हो। इसलिए विद्वान वकील के तर्क में कोई दम नहीं है।

xxxxxxxxxxxxxxxx आयुक्त का आदेश कानून की गलत धारणा पर आधारित है। फॉर्म 'एल' में देय किराए या किराए की दर का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह एक वैधानिक प्रपत्र है और आवेदन इसी प्रपत्र में करना होता है। भूमि-मालिक इस फॉर्म में कोई कॉलम नहीं जोड़ सकता है।"

4. मामले पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उपरोक्त उद्धरण में दिए गए कारणों को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। यह कहना कानून का सही कथन नहीं होगा कि फॉर्म 'एल' में कोई कॉलम नहीं जोड़ा जा सकता है। फॉर्म 'एल' के लिए जो आवश्यक है उसे अन्य सभी भौतिक विवरणों के साथ दाखिल करना होगा जो मांगी गई राहत के लिए और पार्टियों के बीच विवाद के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश से अपील की गई कि जहां भी कानून

निर्माता चाहते थे कि आवेदक विवरण दे, फॉर्म 'एल' में एक नोट संलग्न किया गया था, जिसमें ऐसे विवरणों का उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस आधार पर बेदखल करने की मांग की गई थी कि किरायेदार भुगतान करने में विफल रहा है पर्याप्त कारण के बिना नियमित रूप से किराया देना, चूंकि ऐसा कोई नोट संलग्न नहीं किया गया था, भूस्वामी उपरोक्त शब्दों के अलावा कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं था। यदि अंतिम कॉलम के पैरा 3 में फॉर्म 'एल' पर नजर डाली जाए तो निष्कासन का एक आधार इस प्रकार है:--

"किरायेदार पर्याप्त कारण के बिना भूमि पर उस तरीके से या उस सीमा तक खेती करने में विफल रहा है, जहां भूमि स्थित है।"

यहां भी विवरण देने के संबंध में कोई नोट नहीं है। फिर भी हम पाते हैं कि इन 'शब्दों' का उच्चारण मात्र किरायेदार की बेदखली का दावा करने या सहायक कलेक्टर के लिए कार्यवाही शुरू करने की तारीख बताने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यहां तक कि विवरण देने के लिए प्राधिकृत किसी नोट के अभाव में भी, भूमि-मालिक को यह बताना आवश्यक होगा कि किरायेदार पर्याप्त कारण के बिना किस फसल या फसलों की खेती करने में विफल रहा है और इलाके में प्रचलित रीति-रिवाज और विस्तार के बारे में बताएं। खेती की और इस संबंध में विफलता यह एक उदाहरण है, जो हमें उस उपवाक्य की व्याख्या करने में मदद करेगा जिससे हमें उस उपवाक्य की व्याख्या करने में मदद मिलेगी जिससे हम चिंतित हैं। अतिरिक्त और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में भी, परिशिष्ट 'ए (3)' में 49 प्रकार के वादपत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। विभिन्न प्रावधानों के तहत लिखित बयान, आपत्ति और आवेदन के संबंध में कई और प्रपत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। यदि हम सख्त व्याख्या करते हैं, जिसे उपरोक्त निर्णय मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने फॉर्म 'एल' पर रखा है, तो कोई भी वादी किसी विशेष मुकदमा दायर करने के लिए 49 मसौदा वादपत्रों में निहित बातों से परे कुछ भी कहने का हकदार नहीं होगा। रिक्त स्थान या पार्टियों के नाम का उल्लेख. सीपीसी के आदेश 6 से 8 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कानून की अदालतों ने फैसला सुनाया है कि सभी मुकदमों में वादी या प्रतिवादी के लिए, जैसा भी मामला हो, उन तथ्यों को सटीक रूप से बताना आवश्यक है जिन पर दावा आधारित है या इस तथ्य के बावजूद कि वादी के प्रपत्र और लिखित बयान को सीपीसी के साथ संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत किया गया है, उस पर भरोसा करने की मांग की गई है। इसका मूल आधार यह है कि एक पक्ष, जो अदालत में आता है, उसे सभी विशेष विवरण देने होंगे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर, पार्टी को पता हो सकता है कि उसे किस मामले में सुनवाई करनी है और उस आधार पर उचित बचाव भी करना है।

5. पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के तहत भी, किरायेदार को बेदखल करने के आधार का उल्लेख किया गया है। भूमि मालिक द्वारा बेदखली याचिका में केवल यह कथन कि किरायेदार ने बकाया किराए का भुगतान नहीं किया है या जमा नहीं किया है, पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि किरायेदार को यह नहीं पता होगा कि उसे किस मामले में मिलने के लिए बुलाया गया है। इसी प्रकार, केवल यह कथन कि किरायेदार ने परिसर को किराए पर दे दिया है या उस परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे पट्टे पर दिया गया था। मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना यह पर्याप्त नहीं होगा। याचिका में निष्कासन के आधार या आधार के बारे में विस्तृत तथ्य बताने होंगे। इसलिए, यह मानना उचित है कि ये सभी प्रावधान सक्षम हैं और वे केवल एक मार्गदर्शन देते हैं जिसके आधार पर राहत मांगी जा सकती है लेकिन विस्तृत तथ्यों का उल्लेख करना होगा। सिविल पीसी में संलग्न फॉर्म 'एल' या वाद-विवाद, लिखित बयान या आपत्तियों के फॉर्म ऐसे अनिवार्य फॉर्म नहीं हैं कि उनमें कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जा सके। तदनुसार, हमारी राय है कि सभी आवेदन फॉर्म 'एल' में दाखिल किए जाएं। चाहे एक खंड के तहत या दूसरे के तहत,

उस खंड को लेते समय जिसके तहत राहत का दावा किया गया है, आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह उस खंड के तहत राहत का दावा करने के लिए सभी संभावित विवरण दे और इस सीमा तक आवेदक द्वारा सभी संभावित परिवर्धन किए जा सकते हैं। उस फॉर्म में पैराग्राफ जोड़ना। तदनुसार, हम विद्वान न्यायाधीश से असहमत हैं कि प्रपत्रों में कोई परिवर्धन नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, हम सुरजा के मामले (1980 पुन एलजे 177) (सुप्रा) में की गई विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों को खारिज करते हैं जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है।

6. वर्तमान मामलों में, भूस्वामियों ने केवल फॉर्म 'एल' के शब्दों को बताया और यह विवरण और विवरण नहीं दिया कि किस फसल या फसल के लिए लगान का भुगतान नहीं किया गया या भुगतान में देरी कैसे हुई। इसलिए, हमारी राय में, ऐसे आवेदनों को सहायक कलेक्टर द्वारा बिना किसी कार्रवाई का कारण बताए खारिज कर दिया जा सकता है, जब तक कि पक्ष को उसमें संशोधन करने के लिए समय न मांगना पड़े।

7. चूंकि सुरजा के मामले (सुप्रा) में फैसला अटका हुआ था और हो सकता है कि जमीन मालिकों ने उस फैसले के कारण विस्तृत तथ्य नहीं दिए हों और चूंकि पार्टियों ने सबूत दिए हों, इसलिए हम इसे खारिज करने का रास्ता नहीं अपनाते हैं। विवरण की कमी के कारण आवेदन को तुरंत खारिज कर दें और गुण-दोष के आधार पर उन पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें।

8. चेहरे जो रिकॉर्ड में आया है, वह यह है कि यह भूस्वामियों का अपना मामला है कि उनके पिता ने किरायेदारों के साथ समझौता कर कब्जा छोड़ दिया था और भूस्वामियों ने बकाया लगान की वसूली के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। यह तब जमींदारों का मामला है कि अक्टूबर, 1977 में उनके पिता ने किरायेदारों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था क्योंकि वे 27-9-1977 के समझौते के तहत कब्जा छोड़ने के बाद जमींदारों के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करना चाहते थे। उन मुकदमों में, किरायेदारों ने अनुरोध किया कि 27-9-1977 को कोई समझौता नहीं हुआ था; उन्होंने कभी भी कब्जा नहीं छोड़ा और वे अभी भी किरायेदारों के रूप में कब्जे में थे। ट्रायल कोर्ट ने 31-3-1980 के फैसले और डिक्ली द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद मुकदमे को खारिज कर दिया कि 27-9-1977 का समझौता साबित नहीं हुआ था और प्रतिवादियों ने किरायेदारों के रूप में संबंधित क्षेत्रों पर कब्जा जारी रखा था। भूस्वामी फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और मामले को अपील में ले गए, जिसे 26-3-1981 को खारिज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखा गया। भूस्वामियों की ओर से आये इन तथ्यों से स्पष्ट पता चलता है कि 26-3-1981 तक उन्होंने विवादित भूमि पर प्रतिवादियों का कब्जा या किरायेदार के रूप में दर्जा स्वीकार नहीं किया था। यदि अपील में यह माना गया था कि प्रतिवादी किरायेदार नहीं थे, तो उनके द्वारा किराए के भुगतान का सवाल ही नहीं उठता, भले ही उनका कब्जा पाया गया हो। इसी तरह, यदि यह माना गया होता कि वे कब्जे में नहीं थे या मामले में 27-9-1977 को समझौता हो गया था, तो भूस्वामी के मुकदमे का फैसला हो गया होता। एक बात स्पष्ट है कि 26-3-1981 तक, भूस्वामी प्रतिवादियों को किरायेदार के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और इसलिए, उनसे किराया स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उपरोक्त निर्णय के पांच महीने के भीतर, अधिनियम की धारा 14-ए(आई) के तहत वर्तमान आवेदन इस आधार पर दायर किए गए थे कि किरायेदार नियमित रूप से किराया देने में विफल रहे थे। जाहिर तौर पर आवेदनों में कोई दम नहीं था क्योंकि जमीन मालिकों ने सिविल कोर्ट के फैसले के बाद अपीलों में कभी बकाया लगान की मांग की थी या नहीं, इसकी न तो पैरवी की और न ही यह साबित किया। इसके विपरीत, किरायेदार समय-समय पर अधिनियम की धारा 14-ए (iii) के तहत किराया जमा करते रहे हैं, जिसके संबंध में भूमि मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, जैसा कि उन्होंने राजस्व अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयानों में

## I.L.R. पंजाब और हरियाणा (1986)2

स्वीकार किया था। किसी भी स्थिति में, सिविल कोर्ट में विवाद लंबित होने तक किराए का भुगतान न करने से किरायेदारों को पर्याप्त कारण मिल गया और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि किरायेदार पर्याप्त कारण के बिना किराए का भुगतान करने में विफल रहे।

9. भूस्वामियों की ओर से पुरजोर दलील दी गई कि सहायक समाहर्ता एवं समाहर्ता द्वारा दर्ज किये गये तथ्यों के निष्कर्षों को पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। इन मामलों में स्वयं भूस्वामियों के बयानों पर यह साबित होता है कि वे नागरिक मुकदमे के लंबित होने और कथित समझौते के कारण लगान स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सहायक कलेक्टर और कलेक्टर के आदेशों को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि उन्होंने मामले के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसलिए, यह तथ्य की खोज में हस्तक्षेप का मामला नहीं है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ज़मीन मालिकों के अपने सबूतों और अदालत में दिए गए बयानों के आधार पर, वे सफल नहीं हो सकते।

10. ऊपर दर्ज कारणों से, इन रिट याचिकाओं में कोई दम नहीं है और इन्हें जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है।

---

**अस्वीकरण:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
Trainee Judicial Officer  
नारनौल, हरियाणा